

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प लौमल

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टवारी पाना व भूअनि लौमल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार लौमल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम पाना प0ह0 पाना तहसील दातारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>पाना</u>	<u>41</u>	<u>अवाहरमल पुता लिखमाराम</u>	<u>अवाहर लाल पुता लिखमाराम</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)

राजेश कुमार मीणा

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर

दिनांक:- 30.06.2022

क्रमांक / कैम्प / 2022 / पीलीअप / 85

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दातारामगढ को भेजकर लेख है कि आदशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग राजेश कुमार मीणा

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ जिला सीकर